राजस्व अपील संख्या 495/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. भीखसिंह पुत्र मगसिंह 2. थानसिंह पुत्र माधोसिंह 3. कालूसिंह पुत्र माधोसिंह 4. धापूकंवर पत्नी मगसिंह जातियान राजपूत निवासी– ग्राम चांदरख तहसील ओसियॉ, जोधपुर।		1. उम्मेदाराम पुत्र पूराराम 2. हीराराम पुत्र पूराराम 3. चूनाराम पुत्र पूराराम 4. पुखराम पुत्र सताराम 5. रूपाराम पुत्र सताराम 6. मोटाराम पुत्र सताराम 7. तुलछीदेवी पत्नी सताराम 8. पेपी पत्नी पूराराम जातियान जाट निवासी– ग्राम चांदरख 9. चतुरसिंह पुत्र रामसिंह पुरोहित निवासी– बाराखुर्द तहसील ओसियॉ। 10. तहसील ओसियॉ, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2017 उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2009 अनवान उम्मेदाराम वगैराह बनाम भीख सिंह वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अपीलान्टस की ओर से।
2–श्री सोनाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 1 ता 8 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से।
4– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 10 जुलाई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि उनकी खातेदारी की भूमि खेत ख0सं0 730 रकबा 16.14 बीघा, ख0सं0 730/1 रकबा 10 बीघा, ख0सं0 730/2 रकबा 06.14 बीघा कुल 33.08 बिस्वा ग्राम चांदरख में आई हुई है जिसके सेढा सेढ अपीलार्थीगण के खेत आये हुए है जो पुरानी माठ व कणे थे वो आंधियों की वजह से बिखर गये है इसलिये भूमि की सीमा का सही ज्ञान नहीं है और हर समय पडौसी खातेदार सीमा को विवाद बना रहता है। दिनांक 6.11.2009 को उक्त भूमि की पैमाइश करवाई हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त पैमाइश अनुसार नेखमबन्दी की जाना आवश्यक होने से नेखमबन्दी की जाने के आदेश प्रदान करावें। तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अन्य पक्षकारान को नोटिस जारी किये जिस पर अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए और पत्रावली जवाब में लम्बित चल रही थी तत्पश्चात दिनांक 14.6.2011 को पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया तथा ख0सं0 730 व 731 पर कब्जा काश्त व कणे माठ अनुसार रकबा नतीजा लाने हेतु तहसीलदार ओसियॉ के नेतृत्व में टीम गठित कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित किया, पत्रावली रिपोर्ट के इन्तजार में चल रही थी। इसी दौरान

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी बावडी को भेज दी गई। उपखण्ड अधिकारी बावडी के द्वारा पत्रावली दिनांक 17.5.2017 को रखी गई परन्तु पत्रावली दिनांक 17.5.17 से आगे तारीख नहीं देकर दिनांक 30.5.2017 को ही राजस्व कैम्प ग्राम चांदरख में रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को बिना सुनवाई के ही स्वीकार कर लिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है क्योंकि न्यायालय द्वारा धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी तब हुई जब प्रत्यर्थीगण द्वारा धमकी देने पर अधीनस्थ न्यायालय से सम्पर्क कर पता किया और आदेश की दिनांक 3.4.2019 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। उक्त अपीलाधीन आदेश लोक अदालत कैम्प में अपीलान्ट को बिना सुने ही पारित किया गया था जिसकी जानकारी तत्समय में नहीं हो सकी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे एवं अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 की भूमि खेत ख0सं0 730 रकबा 16.14 बीघा, ख0सं0 730/1 रकबा 10 बीघा, ख0सं0 730/2 रकबा 06.14 बीघा कुल 33.08 बिस्वा ग्राम चांदरख में आई हुई है जिसके सेढा सेढ अपीलार्थीगण के खेत खसरा संख्या 731 की भूमि आई हुए है तथा वहॉ पर तारबन्दी की हुई है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 730 मोमी ट्रेस अनुसार सडक से जुडता ही नहीं है। रेस्पोडेन्टस गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। दिनांक 14.6.2011 को पत्थरगढी हेतु आदेश हुआ जिसकी पालना नहीं हुई और दिनांक 30.5.2017 को अन्तिम आदेश पारित कर दिया जो खसरा संख्या 730 मूल का आदेश ही नहीं है। नक्शें में खसरा संख्या 730 के बटा नम्बर की तरमीम नहीं की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प कोर्ट में लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया है जबकि प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही अपीलार्थीगण को सुना गया। इस कारण से आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के व लोक अदालत की भावना के विपरित होने से अपास्त व निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका की तरमीम की कार्यवाही बिना ही तथा तरमीम की रिपोर्ट तलब किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है जिसे कारण आदेश निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक आदेश नहीं होकर एक प्रशासनिक आदेश है जो बिना कोई कारण अंकित किये पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि की बिना तरमीम के पत्थरगढी व नेखमबन्दी नहीं की जा

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि उनकी खातेदारी की भूमि खेत ख0सं0 730 रकबा 16.14 बीघा, ख0सं0 730/1 रकबा 10 बीघा, ख0सं0 730/2 रकबा 06.14 बीघा कुल 33.08 बिस्वा ग्राम चांदरख में आई हुई है जिसके सेढा सेढ अपीलार्थीगण के खेत खसरा संख्या 731 आये हुए है जो पुरानी माठ व कणे थे वो आंधियों की वजह से बिखर गये है इसलिये भूमि की सीमा का सही ज्ञान नहीं है और हर समय पडौसी खातेदार सीमा को विवाद बना रहता है। दिनांक 6.11.2009 को उक्त भूमि की पैमाइश करवाई हुई है। अतः प्रार्थना पत्र अनुसार पैमाइश के चिन्हित स्थान पर उनकी खातेदारी भूमि के चारों ओर पत्थरगढी की जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया था जिनके द्वारा जवाब भी पेश किया था।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिस विलम्ब के कन्डोन किये जाने हेतु कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिनसे यह प्रतीत होता हो कि उन्हें वास्तव में तत्समय में अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थी के द्वारा आदेश की नकल लेने का कथन काल्पनिक अंकित किया है। इस आधार पर भी अपीलान्ट की अपील अस्वीकार करने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश में ख0सं0 730/1, 730/2 के रकबा भूमि की राजस्व कार्मिकों की टीम सीमाज्ञान करते हुए भूमि की पत्थरगढी दोनों पक्षों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में करवाई जाने के आदेश प्रदान किये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है, जो बहाल रखा जावें एवं अपीलान्टस की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2017 को बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु म्याद प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2017 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 15.2.2017 को वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट चल रही थी, बावजूद इसके एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिया गया। दिनांक 30.5.2017 के

आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 06.11.2009 के अनुसार पत्थरगढी हेतु आदेशित किया गया है। लगभग 08 साल पूर्व की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी के आदेश जारी करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार, बावडी को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को नोटिस जारी कर राजस्व टीम से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मुस्तकील बिन्दुओं से नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही करें। तत्पश्चात यदि आवश्यक हो तो विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही में अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 10 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर